

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सी.आई.डी.(अपराध शाखा),राजरथान, जयपुर
क्रमांक:-पीए/सीआईडी/सीबी/2014/1693-17-07 दिनांक:-11-12-2014

ACSI, D.G.P. CHIEF DIRECTOR

ADD. DIR.

Dir. District

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

Asst. Dir.

संशोधित आदेश

विषय:- बलात्कार संबंधी प्रकरणों का संवेदनशीलता के साथ त्वरित गति से निष्पादन हेतु कार्य-योजना।

लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO ACT-2012) के अधीन बच्चों के विरुद्ध कारित लैंगिक अपराध एवं अपराध कारित होने की आशंका से संबंधित सभी अपराधों व सामूहिक दुष्कर्म के संबंध में पुलिस विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 28-12-2012 एवं 789-850 दिनांक 24-01-2013 में आंशिक संशोधन किया जाकर निर्देशानुसार निर्देशित किया जाता है कि इनसे संबंधित अपराधों का अनुसंधान थानाधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। थानाधिकारी द्वारा बाद अनुसंधान निष्कर्ष एफ.आर. की सूत्र में अनुसंधान का सत्यापन सम्बन्धित वृत्ताधिकारी/सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

बलात्कार सहित हत्या, गैंग रेप का अनुसंधान पुलिस उप अधीक्षक/सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(पंकज कुमार सिंह),

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
सी0आई0डी0(अपराध शाखा),
राजरथान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
- 2 समस्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
- 3 समस्त आयुक्त, जयपुर/जोधपुर
- 4 समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
- 5 निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
- 6 समस्त जिला कलक्टर/अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण इकाई।
- 7 समस्त अध्यक्ष जिला कल्याण समिति।
- 8 समस्त प्रिन्सिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्यास बोर्ड।
- 9 समस्त उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर को पालनार्थ।
- 10 समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान को पालनार्थ।
- 11 समस्त प्रभारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई को पालनार्थ।
- 12 समस्त प्रभारी, महिला यौन अपराध निवारण प्रकोष्ठ।
- 13 आदेश पत्रावली।

(पंकज कुमार सिंह),

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
सी0आई0डी0(अपराध शाखा),
राजरथान, जयपुर।